

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य  
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 27 / 2011  
संस्थान दिनांक 07.03.2011

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़  
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

वि रु द्ध

सादिक पिता करीम, आयु 45 वर्ष  
निवासी- ठीकरी रोड़, अंजड़  
तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 18.09.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 11/2011 अंतर्गत 279, 337, 338, भा.द.सं. में दिनांक 07.03.2011 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.01.2011 को शाम लगभग 7:15 बजे, लोक मार्ग नवलपुरा, अंजड़ में वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर किलाग्या, लहरसिंह गांजी को टक्कर मारकर मानवजीवन संकटापन्न करने, उक्त वाहन से फरियादीगण किलाग्या एवं लहरसिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित करने तथा उक्त वाहन से फरियादी गायत्रीबाई को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित करने के संबंध में अभियुक्त पर धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 08.01.2011 को फरियादी किलांग्या अपनी मोटरसाईकिल से ग्राम बड़दा से ग्राम लोनसरा जा रहा था। फरियादी के साथ लहरसिंह तथा गांजी भी थे। वह अंजड़ से आगे पहुँचे कि बड़वानी की ओर से एक आयशर को उसका चालक तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व किलांग्या की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी जिससे किलांग्या, लहरसिंह एवं गांजी मोटरसाईकिल से गिर गये जिससे किलांग्या के दोनों हाथों व पैरों में, लहरसिंह को दोनों हाथ एवं पैरों में तथा गांजी को शरीर व पैरों में चोटें आई। आयशर चालक उसकी वाहन को भगाकर ले गया। पुलिस ने फरियादी किलांग्या द्वारा की गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 11/2011 अंतर्गत धारा 279, 337 भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 1 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी किलांग्या की निशांदाही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त के पेश करने पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 को मय दस्तावेज व अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति जप्त कर प्रदर्शपी 12 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 08.01.2011 को शाम लगभग 7:15 बजे, लोक मार्ग नवलपुरा, अंजड़ में वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण किलांग्या, लहरसिंह व गांजी का मानवजीवन संकटापन्न किया ?

2. आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादीगण किलांग्या एवं लहरसिंह को टक्कर मारकर उपहति कारित की

3. आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर फरियादी गांजी को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में किलाग्या (अ.सा.1), गांजी (अ.सा.2), लहरसिंग (अ.सा.3), डॉ.कैलाश मालवीय (अ.सा.4), डॉ.जे.पी. पंडित (अ.सा.4), मोहसीन मंसूरी (अ.सा.5), देवेन्द्र (अ.सा.6), दुलीचंद पाटीदार (अ.सा.7) एवं सहायक उपनिरीक्षक निर्भयसिंह मुजाल्दे (अ.सा.8) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

**साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार**  
**प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 3 के संबंध में**

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त तीनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में किलाग्या असा 1 का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। लगभग 3-4 वर्ष पूर्व मोटरसाईकिल से वह, गांजी तथा लहरसिंह ग्राम बड़दा से ग्राम लोनसरा जा रहे थे। वह अंजड़ पहुँचे, तभी बड़वानी की ओर से आ रही गलत दिशा से आयशर वाहन ने उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी थी, जिससे उन्हें चोटें आई थी। उसने टक्कर मारने वाली वाहन का क्रमांक नहीं देखा था और पुलिस को भी नहीं बताया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट पर अपना निशानी अंगुठा होना स्वीकार किया तथा प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल भी बताना स्वीकार किया। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने पुलिस को एक कागज की पर्ची पर आयशर वाहन का क्रमांक लिखकर दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि कागज की पर्ची प्रदर्शपी 3 है जिस पर आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 लिखा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उक्त कागज की पर्ची को उससे जप्त किया था। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट और पुलिस कथन प्रदर्शपी 5 में ए से ए भाग बताने से भी इंकार किया है।

8. गांजी असा 2, लहरसिंह असा 3 ने भी आयशर वाहन से हुई दुर्घटना में उन्हें चोट आने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने पुलिस को अपने कथन में यह बताया था कि वाहन का चालक वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया था। दुलीचंद पाटीदार असा 8 ने दिनांक 08.01.2011 को थाना अंजड़ में किलांग्या द्वारा आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 41 जी 0226 के चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर टक्कर मार देने तथा प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट लिखाने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी यह भी कथन किया कि उक्त रिपोर्ट पर फरियादी ने उसके सामने अंगुठा लगाया था जिसके बी से बी एवं सी सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने रिपोर्ट मन से लेखबद्ध की थी।

9. निर्भयसिंह असा 9 ने दिनांक 09.01.2011 को उसने फरियादी किलांग्या की निशांदेही से प्रदर्शपी 2 का घटनास्थल का नक्शा मौका पंचमामा बनाया था तथा किलांग्या द्वारा प्रदर्शपी 3 की पर्ची पेश करने पर जिसमें आयशर वाहन क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 लिखा था को प्रदर्शपी 4 के अनुसार जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और उसने अभियुक्त के पेश करने पर वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 मय दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त की थी। उसने अभियुक्त के पास वाहन जप्त कर वाहन का मैकेनिकल परीक्षण करवाया था तथा गांजी के एक्सरे परीक्षण में भा.द.स. की धारा 338 बढ़ाई थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार नहीं लिखे थे अथवा सम्पूर्ण कार्यवाही थाने पर बैठकर की थी।

10. डॉ. जे.पी. पंडित असा 5 का कथन है कि दिनांक 08.01.11 को उसने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में थाना अंजड़ के आरक्षक ओंकार द्वारा लाये जाने पर आहत गांजी का मेडिकल परीक्षण कर उसके दाहिने पैर के घुटने पर चोटें होना पाई थी तथा किलांग्या का मेडिकल परीक्षण करने पर दाहिने हाथ की सबसे छोटी अंगुली पर तथा दाहिने घुटने पर फटा हुआ घाव होना पाया था तथा आहत लहरसिंह का परीक्षण करने पर दोनों घुटनों पर चोटें होना पाई थी। साक्षी ने उक्त चोटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से 24 घंटे के भीतर आना पाई थी तथा उसने चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 9 व 10 प्रमाणित किया है।

11. डॉ. कैलाश मालवीय असा 4 ने दिनांक 09.01.2011 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में आहत गांजी के दाहिने घुटने का एक्सरे परीक्षण करने पर उसकी दाहिनी फीमर अस्थि में भंग होना पाया था। साक्षी ने एक्सरे परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 8 भी प्रमाणित किया है।

12. मोहसीन असा 6 ने दिनांक 10.01.2011 को थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 11/2011 में जप्त वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर वाहन ठीक अवस्था में होना पाया था तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शपी 11 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने उक्त वाहन चलाकर नहीं देखा था।

13. देवेन्द्र असा 7 का कथन है कि 2 वर्ष पूर्व नवलपुरा अंजड़ में दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने प्रदर्शपी 4, 12 एवं 14 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। अभियाजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि नवलपुरा में एक आयशर वाहन का चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर आया और एक मोटरसाईकिल पर तीन बैठे व्यक्तियों को टक्कर मार दी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने टक्कर मारने वाली वाहन का क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 लिखाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उक्त प्रदर्शपी 3 का कागज उसने पुलिस को दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके द्वारा दिये गये प्रदर्शपी 3 के कागज के अनुसार प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया था, यहाँ तक कि साक्षी ने प्रदर्शपी 14 का कथन भी पुलिस को देने से इंकार किया है।

14. ऐसी स्थिति में जबकि घटना में घायल किलांग्या, लहरसिंह एवं गांजी ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान उनको टक्कर मारने वाले वाहन चालक के रूप में नहीं की है और पुलिस को किसी भी कागज पर वाहन का क्रमांक लिखकर देने से किलांग्या असा 1 एवं देवेन्द्र असा 7 ने स्पष्ट इंकार किया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, स्थान एवं समय पर अभियुक्त ने उक्त वाहन आयशर को लोक मार्ग पर उपेक्षापूर्ण व उतावलेपन को चलाकर फरियादीगण किलांग्या, लहरसिंह एवं गांजी का मानवजीवन संकटापन्न किया तथा आहत किलांग्या एवं लहरसिंह को उपहति तथा गांजी को घोर उपहति कारित की। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है तथा उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

15. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त सादिक के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित तीनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्त सादिक को संदेह का लाभ देते हुए धारा 279, 337, 338 भा.दं.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

16. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन आयशर क्रमांक एम.पी. 41 जी. 0226 दिनांक 12.01.2011 को उसके पंजीकृत स्वामी मुश्ताक एहमद पिता वाहिद एहमद, निवासी— बड़वानी रोड़, राजपुर, जिला बड़वानी म.प्र. को सुपुर्दगीनामे पर दी गई। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में स्वतः निरस्त समझा जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला बड़वानी